उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या: 03/2017/1521/छप्पन-2016-5/2013

लखनऊ: दिनांक : 03 जनवरी, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2116/छप्पन-2012-35/2010, दिनांक 03.01. 2013 के द्वारा श्री मुकेश सिंह मेहता को व्याख्याता (एवियानिक्स) के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 31,000/- (रूपये इकत्तीस हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में श्री मुकेश सिंह मेहता द्वारा दिनांक 07.01.2013 के पूर्वान्ह में अपना कार्यभार ग्रहण किया था, जिसकी अवधि दिनांक 06.01.2015 को समाप्त हो गयी थी। तदुपरान्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2075/छप्पन-2014-5/2013, दिनांक 03.03.2015 द्वारा श्री मुकेश सिंह मेहता की संविदा अवधि नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 50160/- (रूपये पचास हजार एक सौ साठ मात्र) पर दिनांक 07.01.2015 से दिनांक 06.01.2016 तक (अर्थात 01 वर्ष) के लिए बढ़ाई गयी थी। अन्तिम बार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1809/छप्पन-2015-05/2013, दिनांक 03.02. 2016 के द्वारा दिनांक 07.01.2016 से आगामी एक वर्ष अर्थात दिनांक 06.01.2017 तक नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 52668/- में बढ़ायी गयी थी जो दिनांक 06.01.2017 समाप्त हो रही है। निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अवगत कराया है कि श्री मेहता ने अपनी संविदा अवधि अग्रेतर बढ़ाये जाने का अनुरोध किया है और यह भी कहा है कि श्री मेहता द्वारा अपना कार्य निष्ठापूर्वक संचालित किया जा रहा है साथ ही निदेशक, ए0टी0आई0 ने श्री मेहता की संविदा अवधि अग्रेतर एक वर्ष बढ़ाने का प्रकरण शासन को संदर्भित किया है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय श्री मुकेश सिंह मेहता व्याख्याता (एवियानिक्स) की संविदा अवधि दिनांक 07.01.2017 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात 06.01.2018 तक) के लिए बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। श्री मेहता को शासनादेश संख्या - 1422/छप्पन-2014-17/2014, दिनांक 09-09-2014 के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक एवं वार्षिक पारिश्रमिक बृद्धि अनुमन्य होगा।

2- श्री मुकेश सिंह मेहता को उक्त संविदा अवधि में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भॉति अवकाश देय होगा।

3- श्री मुकेश सिंह मेहता से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(एस0के0 रघुवंशी)

सचिव।

[redacted]

श्री मुकेश सिंह मेहता, (संविदा)
व्याख्याता (एवियानिक्स),
एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 03/2017/1521(1)/छप्पन-16-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री मुकेश सिंह मेहता से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (आडिट/लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- कार्मिक अनुभाग-1

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।